694246148
174/68

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

17 SEP 2018

तेलंगाना, हैदराबाद
Telangana, Hyderabad-500 004.

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2018-2019/ 1720

दिनांक- 07.09.18

सेवा में,

	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम.बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम,	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500004
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

PM-OG-TS

O/o Prl. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
5 2 4 6 5 6
524656

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2018-19 दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हक़.) कार्यालय

विषय- वेतन समिति उत्तराखंड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01/01/2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन अवशेष का भुगतान किये जाने विषयक।

संदर्भ- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-120/2017/XXVII/45(10)/2016 दिनांक-05/07/2018

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनदेश की प्रतियाँ संग्लन कर प्रेषित की जा रही है | आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियो को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय

A.D. Pandey

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

(32)

संख्या /2017/ XXVII/45(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3– मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल,
उत्तराखण्ड।

4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

5– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 05 जून, 2018

विषयः–वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष का भुगतान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 267/45/XXVII (10)/2016, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 शासनादेश संख्या–138/2017/45/XXVII (10)/2016, दिनांक 15 मई, 2017 का कृपया/संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनाक 01–01–2016 से पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के दिनांक 01 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2016 तक की अवधि के पुनरीक्षित पेंशन का 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनरवरी, 2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि की पुनरीक्षित पेंशन के 50 प्रतिशत अवशेष (Arrear) धनराशि का अंतिम किस्त के रूप में भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(32)

संख्या / 20/2017/XXVII/45(10)/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– निदेशक, पेंशन उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी 23 लक्ष्मीरोड, डालनवाला देहरादून।
6– समस्त मुख्य/ वरिष्ठ/ कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7– प्रभारी एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
8– अध्यक्ष, सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड देहरादून।
9– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।